न्यायालय जिला न्यायाधीश, बूंदी (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : **अजय शुक्ला, आर.जे.एस.**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी वाद संख्या : 26 / 2013
सी.आई.एसं. संख्या : 1230 / 2014

श्रीमती भंवरीबाई बनाम जगदीश व अन्य

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 14 नियम 05 सि.प्र.सं.

उपस्थितः–

1. श्री रमेश जैन, प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता,
2. श्री विनय सक्सेना, अप्रार्थिया / वादिया के विद्वान अधिवक्ता।

आदेश दिनांक : 07.03.2025

01. इस आदेश के माध्यम से प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 14 नियम 05 सिविल प्रक्रिया संहिता दिनांकित 21.02.2025 का निस्तारण किया जा रहा है।

02. प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 21.02.2025 को एक प्रार्थना–पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त दावे एवं जवाब दावे के आधार पर निम्न तीन तनकियां और बढ़ाया जाना आवश्यक है, जो बनने से रह गई हैं:–

01. यह कि वाद विषयक मकान एवं भण्डार की मालिक मोत्याबाई थी ? –वादी

02. यह कि वादी मोत्या बाई ने अपनी अंतिम वसीयत दिनांक 17.03.1980 के द्वारा वाद विषयक मकान व भण्डारों की वसीयत वादी भंवरी बाई के पक्ष में निष्पादित कर दी थी। इस आधार पर वादी वाद विषयक मकान की मालिक है ? –वादी

03. यह कि दावा अवधि मध्य है ? –वादी

उक्त तनकीयात बाबत् पक्षकारान् की साक्ष्य आ चुकी है। इस कारण उक्त तनकीयात बनाने के उपरांत भी किसी पक्ष को कोई साक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं है। उक्त तनकीयात प्लिडिंग के आधार पर प्रकरण के सही निर्णय

हेतु बनाया जाना आवश्यक है। अतः उपरोक्त तथ्यों पर गौर कर उक्त समेकित दावे में उपरोक्त तनकीयात बनाने का निवेदन किया।

03. उक्त प्रार्थना–पत्र का जवाब अप्रार्थिया / वादिया द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 02 में प्रस्तावित प्रथम व द्वितीय तनकी पूर्व में कायम की गई तनकी संख्या 01 में समाहित है। तनकी संख्या 03 पूर्व में कायम तनकी संख्या 02 में समाहित है, इस कारण नई तनकी काम किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नई तनकी कायम होने के पश्चात् प्रकरण पुनः साक्ष्य में चला जावेगा। इस प्रकरण में बहस की जा चुकी है, पुनः इस प्रकरण में दिनांक 04.01.2025 को लिखित बहस दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत की जा चुकी है। अब नई तनकी कायम करने का कोई कारण नहीं है। पूर्व में निर्धारित तनकियां प्लीडिंग के आधार पर ही कायम की गई हैं। अतः प्रार्थना–पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

04. बहस सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुये निवेदन किया गया कि अप्रार्थिया / वादिया ने अपने वाद पत्र में यह अभिवचनित किया है कि वादग्रस्त मकान स्वर्गीय श्रीमती मोत्याबाई की निजी सम्पत्ति थी और वह उस मकान की एक मात्र स्वामिनी थी, जिसे स्वर्गीय श्रीमती मोत्याबाई ने अपने जीवनकाल में दिनांक 17.03.1980 को अप्रार्थिया / वादिया को वसीयत कर दिया और उक्त मोत्याबाई की मृत्यु के उपरान्त अप्रार्थिया / वादिया उक्त वादग्रस्त मकान की एकमात्र स्वामिनी हो गई है। अप्रार्थिया / वादिया के उपरोक्त तथ्यों के बाबत जवाब प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण ने जरिए जवाबदावा पेश कर दिया है। उक्त उपरोक्त तथ्यों के संबंध में स्पष्ट तनकी न्यायालय द्वारा कायम नहीं की गई है, जबकि उक्त तथ्यों पर तनकीयात बनाया जाना आवश्यक है, जिससे वाद की प्रकृति पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पडेगा। हालांकि प्रकरण में दोनों पक्षों की साक्ष्य लेखबद्ध की जा चुकी है, उपरोक्त तनकीयात औपचारिक रूप से बनाए जाने पर किसी प्रकार से नवीन साक्ष्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोनों पक्षों की ओर से उपरोक्त अभिवचनों के आधार पर अपनी–अपनी साक्ष्य प्रस्तुत की हुई है। अतिरिक्त रूप से कायम की जाने वाली तनकीयात वाद के निर्णय में सहायक होगी। लिहाजा प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण

में उपरोक्त तनकीयात कायम की जावें।

05. इसके विपरीत अप्रार्थिया/वादिया के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त तर्को का विरोध करते हुये यह व्यक्त किया है कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा सुझाई गई प्रथम व द्वितीय तनकी पूर्व में कायम की गई तनकी संख्या 01 में समाहित है। तनकी संख्या 03 पूर्व में कायम तनकी संख्या 02 में समाहित है, इसलिए पृथक से तनकी बनाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोनों पक्षों की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत की जा चुकी है एवं प्रकरण बहस अंतिम के प्रक्रम पर चल रहा है। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से अनावश्यक रूप से वाद में विलंब कारित करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

06. हमारे द्वारा उभयपक्ष के तर्कों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया तथा पत्रावली एवं सुसंगत विधि का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थिया/वादिया द्वारा उक्त वाद प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिलाए जाने कब्जा मकान प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार अभिवचन किए गए हैं। अप्रार्थिया/वादिया द्वारा स्वयं को वादग्रस्त मकान की स्वामिनी इस आधार पर बताया गया है कि उक्त वादग्रस्त मकान स्वर्गीय मोत्याबाई की निजी सम्पत्ति थी और वह उक्त मकान की एकमात्र स्वामिनी थी, जिसने अपने जीवनकाल में उक्त वादग्रस्त मकान अप्रार्थिया/वादिया को वसीयत कर दिया था, मोत्याबाई की मृत्यु होने के उपरान्त अप्रार्थिया/वादिया वादग्रस्त मकान की एकमात्र स्वामिनी हो गई है। इस बाबत स्पष्ट अभिवचन अप्रार्थिया/वादिया ने अपने वाद पत्र में किए हैं, जिसका जवाब प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावे में दिया है। हमारे द्वारा हस्तगत वाद में न्यायालय द्वारा पूर्व में कायम की गई तनकीयात का विस्तृत अवलोकन किया गया, हालांकि न्यायालय द्वारा कायम की गई तनकीयात में अप्रार्थिया/वादिया द्वारा अपने उपरोक्त प्रार्थना पत्र में जो अतिरिक्त तनकीयात सुझाई हैं, वह न्यायालयय द्वारा पूर्व में कायम की गई तनकियों में समाहित होना जाहिर है किन्तु फिर भी न्यायनिर्णय की सुगमता एवं स्पष्टता के लिए उपरोक्त तथ्यों पर पृथक से तनकीयात कायम किए जाने से वाद के गुणावगुण पर प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा साथ ही पक्षकारान द्वारा उपरोक्त समस्त बिन्दुओं पर पूर्व में साक्ष्य लेखबद्ध करवाई जा चुकी है जिससे

अतिरिक्त तनकीयात औपचारिक रूप से कायम भी की जाती हैं तो नये सिरे से पक्षकारों की कोई साक्ष्य लेखबद्ध किया जाना आवश्यक नहीं होगा। जिससे वादी एवं प्रतिवादीपक्ष दोनों ही सहमत हैं। ऐसे में प्रकरण में किसी प्रकार का विलंब होना दृष्टिगत नहीं होता है।

07. इन परिस्थितियों में प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 14 नियम 05 सि.प्र.सं. दिनांकित 21.02.2025 स्वीकार किया जाकर हस्तगत वाद में निम्नानुसार अतिरिक्त तनकीयात कायम किए जाने के आदेश दिए जाते हैं–

<u>अतिरिक्त तनकियात</u>

(1) आया वाद विषयक मकान व भंडार मोत्याबाई की निजी सम्पत्ति होकर उसकी स्वामिनी होने से उसने अपनी अंतिम वसीयत दिनांक 17.03. 1980 के द्वारा वाद विषयक मकान व भंडारों की वसीयत वादिया भंवरीबाई के पक्ष में निष्पादित कर दी थी ?

वादिया

(2) आया वादिया का वाद अवधि मध्य है ?

वादिया

(3) अनुतोष ?

(अजय शुक्ला)
जिला न्यायाधीश, बून्दी
(राजस्थान)

08. आदेश आज दिनांक 07.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला न्यायाधीश, बून्दी
(राजस्थान)